न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या :: 244/2018

जी.सी.एम.एस. :: 2018/00308

प्रार्थी **बनाम**

अप्रार्थीया

सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड जंक्शन जिला पाली

लक्ष्मीकवंर पुत्री उंकारसिंह पत्नी विरेन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी भगवानपुरा, तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।
2. अप्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोडा।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 30.4.2024

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीया के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वक्त बहस सरकारी पैरोकार अनुपस्थित होने से विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2010–2019 ग्राम बीठोडाकला तहसील खारची हाल ग्राम भगवानपुरा पटवार मण्डल बिठौडाकला तहसील मारवाड जंक्शन के खाता संख्या 298 खसरा नम्बर 1242 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा की भूमि डोली बनाम मन्दिर श्री केशवरामजी बएतमाम पुजारी तलोकदास चैला भोलाराम कौम साद सा.देह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 1242 का वर्तमान खसरा नम्बर 1661 राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का पुजारीयों द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये बेचान किये जाने से जमाबन्दी सम्वत् 2029–2048 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1661 की भूमि में विरेन्द्रसिंह, सुरेन्द्रसिंह पि. तेजसिंह कौम राजपुत सा.देह खातेदार दर्ज है। इसके पश्चात न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत के आदेश कमांक/कोर्ट/626 दिनांक 04.09.1987 की पालना में जरिये नामान्तकरण संख्या 2 दिनांक 04.06.1988 के द्वारा खसरा नम्बर 1661 रकबा 2.3775 हैक्टर की भूमि अप्रार्थीया लक्ष्मीकंवर पुत्री उंकारसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ है। चूंकि उक्त भूमि डोली की थी, जिसका विक्रय कानूनन नही किया जा सकता, परन्तु पुजारीयों द्वारा अपने निजी स्वार्थवश विक्रय किया है। अतः धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीया ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त भूमि भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा वक्त सेटलमेन्ट से अप्रार्थीया के नाम दर्ज है। चूकि अप्रार्थीया का नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा पारित निर्णय की पालना में जरिये नामान्तकरण संख्या 2 दिनांक 04.06.1988 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है तथा मौका फर्द अनुसार भी उक्त खातेदारी भूमि अप्रार्थीया के नाम दर्ज रेकार्ड है तथा उक्त भूमि कृषि भूमि है जिस पर अप्रार्थीया का कब्जा काश्त है एवं ग्राम भगवानपुरा में ही निवासरत है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 24 के अनुसार सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी जिला कलेक्टर के अधिन न होकर भू–प्रबन्ध आयुक्त के अधीन होते है जिसके कारण सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के रेफरेन्स हेतु जिला कलेक्टर सक्षम नहीं है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा ऐसे परिवर्तनों के सम्बन्ध में धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार रेफरेन्स करने की अधिकारिता नहीं रखता है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त डोली की न होकर अप्रार्थीया की खुद काश्त एवं कब्जासुदा

अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

खातेदारी भूमि है। ग्राम भगवानपुरा के खसरा नम्बर 1661 रकबा 2.3775 किस्म बा.अ. की भूमि का रेफरेन्स गलत रूप से दर्ज करवाया गया है, जो खारिज किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीया की बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2010–2019 ग्राम बीठोडाकला तहसील खारची हाल ग्राम भगवानपुरा तहसील मारवाड जंक्शन के खाता संख्या 298 खसरा नम्बर 1242 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा की भूमि डोली बनाम मन्दिर श्री केशवरामजी बएतमाम पुजारी तलोकदास चैला भोलाराम कौम साद सा.देह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2029–2048 के अनुसार गत खसरा नम्बर 1242 के हाल खसरा नम्बर 1661 है। विरासत नामान्तरकरण संख्या 53 के द्वारा उक्त आराजी डोली श्री केसवरामजी पुजारी मदनलाल चैला तिलोकदास के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुयी, जो जमाबन्दी सम्वत् 2017–2030 के अवलोकन से स्पष्ट है। उक्त आराजी का मदनलाल चैला तलोकदास द्वारा हरीसिंह, विरेन्द्रसिंह, सुरेन्द्रसिंह को बेचान किये जाने से जरिये बेचान नामान्तरकरण संख्या 124 के द्वारा जैर आराजी हरीसिंह, विरेन्द्रसिंह, सुरेन्द्रसिंह पुत्र तेजसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुयी। जमाबन्दी सम्वत् 2029–2048 के अनुसार उक्त भूमि में विरेन्द्रसिंह, सुरेन्द्रसिंह पि. तेजसिंह कौम राजपुत सा.देह खातेदार अंकित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मन्दिर की भूमि का पुजारियों द्वारा अपने निजी स्वार्थवश बेचान किया गया तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत के आदेश के आधार पर स्वीकृत नामान्तरण संख्या 2 दिनांक 04.06.1988 से वर्तमान जमाबन्दी में उक्त आराजी खसरा नम्बर 1661 रकबा 2.3775 हैक्टर किस्म बा.अ. की भूमि अप्रार्थीया लक्ष्मीकंवर पुत्री उंकारसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के विरूद्ध भूमि पुजारी के नाम दर्ज होकर नामान्तकरण संख्या 02 दिनांक 04.06.1988 के द्वारा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भूमि अप्रार्थीया के नाम खातेदारी में दर्ज है। अतः डोली बनाम मन्दिर की भूमि का अवैध हस्तान्तरण होने के कारण नामान्तकरण संख्या 53, 124 तथा 02 दिनांक 04.06.1988 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नही है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, मारवाड जंक्शन द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि ग्राम भगवानपुरा पटवार मण्डल बिठौडाकला तहसील मारवाड़ जंक्शन के गत खसरा नम्बर 1242 रकबा 14 बीघा 17 हाल खसरा नम्बर 1661 रकबा 2.3775 हैक्टर किस्म बा.अ. के नामान्तकरण संख्या 53, 124 तथा 02 दिनांक 04.06.1988 को निरस्त करते हुये पुनः भूमि डोली बनाम मन्दिरजी के नाम दर्ज करावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ राजेश गोयल)
अति.जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली